BILL NO. 07 OF 2017

"REGULARISATION OF SERVICES OF GUEST TEACHERS AND TEACHERS ENGAGED UNDER THE 'SARVA SHIKSHA ABHIYAN' BILL, 2017" (BILL NO. 07 OF 2017)

DVS

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 04 October, 2017)

S. Prasanna Kumar
04/10/2017
PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi-110054

BILL No. 07 of 2017

REGULARISATION OF SERVICES OF GUEST TEACHERS AND TEACHERS ENGAGED UNDER THE 'SARVA SHIKSHA ABHIYAN' BILL, 2017

a) Whereas Article 21A of the Constitution of India mandates the State to provide free and compulsory education to all children between the age of six and fourteen;

b) And whereas, since 2015, the Directorate of Education of the Government of NCT of Delhi has started, and is running, several schemes in school education, including,'Summer Camps', 'Reading Campaign', 'Chunauti campaign', a special campaign to prepare class XII students for board exams, and the learning outcomes initiative of the NCERT;

c) And whereas, these initiatives of the Directorate of Education have significantly improved the standards of teaching and education in Directorate of Education schools

d) And whereas, Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan have been an integral part of all of the initiatives started and run by the Directorate of Education since 2015;

e) And whereas, the Government of NCT of Delhi has spent considerable time and money in ensuring that Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan are trained to be able to carry out its new initiatives;

f) And whereas, Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan who have undergone the training and have acquired the experience of teaching in Directorate of Education schools are best placed to improve learning and educational standards in Directorate of Education schools;

g) And whereas, new approaches to pedagogy have highlighted the importance of 'experience' in teaching;

h) And whereas, Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan have been engaged in Directorate of Education schools from 2001 onwards, and unemployed youth have been engaged as Guest Teachers and under the Sarva Shiksha Abhiyan from 2009-10 onwards;

i) And whereas, in 2014, the engagement of Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan was through an open and transparent process – strictly in conformity with Articles 14, 16 and 309 of the Constitution of India – in which applications were invited from all eligible candidates;

DVS

j) And whereas, in 2014, engagement of Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan was centralised at the district level; district-wise merit lists of Guest Teachers was generated and maintained in the public domain and human intervention in the preparation of the merit lists was removed by automating the preparation of merit lists. And, as a consequence of these steps, the possibility of Guest Teachers being engaged through the 'backdoor' or by the 'spoils system' was ruled out in 2014;

k) And whereas, the district-wise merit list created in 2014, provided for reservation and age relaxation for SC/ST/OBC and Disabled candidates;

l) And whereas, in the absence of law enacted by legislature under Article 309 of the Constitution, Recruitment Rules have governed procedures for recruitment to the posts of Assistant Teachers, Teachers, Trained Graduate Teachers and Postgraduate Teachers;

m) And whereas, it is expedient and in the interests of the school education system for Delhi that the skill, expertise and experience gained by guest teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan is not lost to Delhi's education system and that they are regularised and absorbed into the teaching cadre of the Government of NCT of Delhi;

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows: –

Short Title, Extent and Commencement:

1) This Act may be called, 'Regularisation of Services of Guest Teachers and Teachers engaged under the 'Sarva Shiksha Abhiyan' Act, 2017'.

2) It shall come into force immediately on its publication in the official Gazette.

3) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

4) Definitions: In this act, unless the context otherwise requires –

   a. 'Guest Teacher' means, every person who has been engaged as a Guest Teacher by the Directorate of Education for a period of 120 days anytime after April 1, 2016.

DVS

b. 'Teacher engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan' means, every person who has been engaged as Teacher under the Sarva Shiksha Abhiyan by the Directorate of Education for a period of 120 days anytime after April 1, 2016.

c. 'Sanctioned Post' means, posts sanctioned by the Directorate of Education in Directorate of Education schools as on date, or at any time in future.

d. 'Recruitment Rules' means, the rules notified from time to time for the engagement of teachers against sanctioned posts by the appropriate authority.

5) All Guest Teachers and Teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan in Directorate of Education schools, stand regularised against sanctioned posts available under the Directorate of Education of the Government of NCT of Delhi, for which they have qualifications as stipulated under the relevant recruitment Rules on the date that this act comes into force.

6) All Guest Teachers and Teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan presently engaged in Directorate of Education schools, and in respect of whose qualifications there are no vacancies available in sanctioned posts of the Directorate of Education of the Delhi government, will continue to be engaged as Guest Teachers until the relevant sanctioned post falls vacant, and will stand regularised against the relevant sanctioned post from the day it falls vacant.

7) Nothing in sections 5 and 6 will prevent the appropriate superior authority supervising the work of a Guest Teacher or a Teacher engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan from discontinuing the engagement of the teacher for disciplinary reasons, or if the performance of the teacher is found to be unsatisfactory.

Provided that, the engagement of the teacher will not be discontinued without following the principles of natural justice and giving the teacher an opportunity to be heard.

8) Guest Teachers and Teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan who do not have the relevant educational qualifications stipulated in the recruitment rules as on date will not be eligible for regularisation.

9) Guest Teachers and Teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan, otherwise qualified under sections 5 and 8 of this act, will not be denied regularisation for not having qualifications stipulated in section 23 of, 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009', until the time allowed for acquiring such qualification expires under that act.

DVS

10) All Recruitment Rules, in so far as they are contrary to the provisions of this act, stand repealed.

11) All service rules, regulations and notifications applicable to teachers employed against regular sanctioned posts shall apply to Guest Teachers and Teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan from the date their services stand regularised under this act.

DVS

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 21A of the Constitution of India mandates the State to provide free and compulsory education to all children between the age of six and fourteen. Since 2015, the Directorate of Education of the Government of NCT of Delhi has started, and is running, several schemes in school education, including,'Summer Camps', 'Reading Campaign', 'Chunauti campaign', a special campaign to prepare class XII students for board exams, and the learning outcomes initiative of the NCERT. These initiatives of the Directorate of Education have significantly improved the standards of teaching and education in Delhi government schools and the performance of Delhi government school students in board exams.

Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan have been an integral part of all of the initiatives started and run by the Delhi government since 2015. The Government of NCT of Delhi has spent considerable time and money in ensuring that Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan are trained to be able to carry out its new initiatives. They have undergone the training and have acquired the experience of teaching in Directorate of Education schools and are best placed to improve learning and educational standards in Delhi government schools, especially since new approaches to pedagogy have highlighted the importance of 'experience' in teaching;

Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan have been engaged in Delhi government schools from 2001 onwards, and unemployed youth have been engaged as Guest Teachers and under the Sarva Shiksha Abhiyan from 2009-10 onwards. In 2014, the engagement of Guest Teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan was through an open and transparent process – strictly in conformity with Articles 14, 16 and 309 of the Constitution of India – in which applications were invited from all eligible candidates. This engagement was centralized at the district level; district-wise merit lists of Guest Teachers was generated and maintained in the public domain and human intervention in the preparation of the merit lists was removed by automating the preparation of merit lists. And, as a consequence of these steps, the possibility of Guest Teachers being engaged through the 'backdoor' or by the 'spoils system' was ruled out in 2014. Additionally, the district-wise merit list created in 2014, provided for reservation and age relaxation for SC/ST/OBC and Disabled candidates. In the absence of law enacted by legislature under Article 309 of the Constitution, Recruitment Rules have governed procedures for recruitment to the posts of Assistant Teachers, Teachers, Trained Graduate Teachers and Postgraduate Teachers;

It is expedient and in the interests of the school education system for Delhi that the skill, expertise and experience gained by guest teachers and teachers engaged under the Sarva Shiksha Abhiyan is not lost to Delhi's education system and that they are regularised and absorbed into the teaching cadre of the Government of NCT of Delhi;

The Bill seeks to achieve the aforementioned objectives.

Hence the Bill.

(MANISH SISODIA)
DY. CHIEF MINISTER/MINISTER OF EDUCATION

Delhi

Date: 27th September, 2017.

DVS

FINANCIAL MEMORANDUM.

The Bill entails no additional financial expenditure to the Government of NCT of Delhi.

2017 का विधेयक संख्या 07

अतिथि शिक्षक तथा "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं का नियमण, विधेयक, 2017
विधेयक संख्या (07) 2017

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को पुरःस्थापित किया गया)

DVS

एस. प्रसन्ना कुमार
प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव
विधान सभा, दिल्ली

2017 का विधेयक सं. 07,

अतिथि शिक्षक तथा ''सर्व शिक्षा अभियान'' के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं का नियमण, विधेयक, 2017

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क में राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

(ख) और 2015 से शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए स्कूल शिक्षा की अनेक स्कीमें – ''ग्रीष्मकालीन कैंप'', ''रीडिंग अभियान'', ''चुनौती अभियान'' चलाए हैं तथा बारहवी कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष अभियान के साथ – साथ एनसीईआरटी के ''लर्निंग आउटकम'' का अध्ययन शुरू कर दिया है।

(ग) और शिक्षा निदेशालय के इन प्रयासों से निदेशालय के स्कूलों में शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया के मापदंडों को देखते हुए अत्यधिक सुधार आया है।

(घ) और अतिथि शिक्षक तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष, 2015 से शुरू किए गए सभी प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

(ङ) और दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को नए दायित्वों के योग्य बनाने के लिए काफी समय और धनराशि खर्च की है।

(च) और अतिथि शिक्षक तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे शिक्षकों को जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और जो शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में अध्यापन का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, वे शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में अध्ययन और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

(छ) और शिक्षा शास्त्र की नई मान्यताओं के अनुसार अध्यापन में ''अनुभव'' को महत्वपूर्ण माना गया है।

DVS

(ज) और अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, निदेशालय में 2001 से कार्य कर रहे हैं और अनेक बेरोजगार योग्यताप्राप्त युवकों को 2009–10 से अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लगाया गया था।

(झ) और अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को लगाने की एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी जो पूर्णतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 तथा 309 के अनुसार थी जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए थे।

(ञ) और अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत सभी शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य जिला स्तर पर केन्द्रित था और इन शिक्षकों की जिला अनुसार मैरिट लिस्ट सार्वजनिक **डोमेन** में तैयार की गई थी और मैरिट लिस्ट की प्रक्रिया स्वचालित होने के कारण मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नहीं थी। इन उपायों के परिणामस्वरूप, 2014 में अतिथि शिक्षकों के 'बैक–डोर' से या अनैतिक प्रणाली से नियुक्ति की संभावना को समाप्त कर दिया गया था ।

(ट) और 2014 में जिला अनुसार जो मैरिट सूची तैयार की गई थी उसमें आरक्षण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग प्रत्याशियों के लिए आरक्षण भी रखा गया था।

(ठ) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत विधान द्वारा अधिनियमित विधि उपलब्ध न होने के कारण सहायक शिक्षकों, टीजीटी तथा पीजीटी शिक्षकों का चयन भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के आधार पर किया गया था।

(ड) और ऐसा किया जाना समीचीन और दिल्ली की स्कूल शिक्षा प्रणाली के हित में होगा कि अतिथि शिक्षकों और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कौशल, विशेषज्ञता और प्राप्त अनुभव से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वंचित न रह जाए इसलिए उन्हें दिल्ली सरकार के शिक्षक संवर्ग में विनियमित और आमेलन किया जाए।

DVS

इसे भारतीय गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(1) इस अधिनियम को ''अतिथि शिक्षक तथा 'सर्व शिक्षा अभियान ' अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों का सेवा नियमण अधिनियम, 2017 कहा जायेगा'।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(3) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

(4) परिभाषाएं :–इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

4. (क) 'अतिथि शिक्षक' का अर्थ है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 01 अप्रैल, 2016 के पश्चात् कभी भी शिक्षा निदेशालय द्वारा न्यूनतम 120 दिन की अवधि के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में लगाया गया हो।

(ख) ''सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक'' का अर्थ है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे शिक्षा निदेशालय ने 01 अप्रैल, 2016 के पश्चात् कभी भी न्यूनतम 120 दिन की अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अधीन शिक्षक के रूप में लगाया गया हो।

(ग) ''संस्वीकृत पद'' का अर्थ है शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में आज की तिथि में या किसी समय भविष्य में स्वीकृत पद।

(घ) ''भर्ती नियम'' का अर्थ है स्वीकृत पदों के स्थान पर शिक्षकों को लगाने के लिए समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नियम।

5. शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत सभी शिक्षक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के अधीन उपलब्ध संस्वीकृत ऐसे पदों के स्थान पर नियमित किए जाते है जिसके लिए अधिनियम के लागू होने की तिथि पर जो संबंधित भर्ती नियमों के अधीन निर्धारित योग्यताएं रखते हों।

DVS

6. शिक्षा निदेशालय के स्कूलों के ऐसे सभी अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों, जिनकी योग्यताओं के अनुसार शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के संस्वीकृत पदों में रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है वे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे तथा संबंधित स्वीकृत पद खाली होने पर इन पदों के स्थान पर उनके रिक्त होने की तिथि से नियमिति किया जायेगा।

7. धारा 5 तथा 6 में कुछ भी रहते हुए, वरिष्ठ प्राधिकारी अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के समुचित कार्य का पर्यवेक्षण कर सकते हैं और अनुशासनात्मक कारणों से या शिक्षक के कार्य निष्पादन को असंतोषजनक पाए जाने पर शिक्षक की सेवाओं को समाप्त कर सकते है।

प्रावधान है कि किसी शिक्षक की सेवा को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किए बिना और अध्यापक को सुनवाई का अवसर दिए बिना समाप्त नहीं किया जाएगा।

8. अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे शिक्षक जो उस तिथि को भर्ती नियमों में निर्धारित संबंधित शैक्षिक योग्यताएं नहीं रखते, नियमित किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

9. अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस अधिनियम की धारा 5 तथा 8 के अधीन अन्यथा योग्य है उन्हें निःशुक्ल बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 में निर्धारित योग्यताएं न रखने के कारण नियमित किए जाने के अयोग्य नहीं माना जाएगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन योग्यता प्राप्त करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

10. सभी भर्ती नियम जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है निरस्त किए जाते हैं।

11. नियमित स्वीकृत पदों के स्थान पर नियुक्त शिक्षकों पर लागू सभी सेवा नियम, विनियम तथा अधिसूचनाएं अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों पर भी इस अधिनियम के अधीन उनकी सेवा विनियमित होने की तिथि से लागू होंगे।

DVS

उदेद्श्य एवं कारणों का विवरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क में राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया है। वर्ष 2015 से शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए स्कूल शिक्षा की अनेक स्कीमें – ''ग्रीष्मकालीन कैंप'', ''रीडिंग अभियान'', ''चुनौती अभियान'' चलाए हैं तथा बारहवी कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष अभियान के साथ – साथ एनसीईआरटी के शिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन शुरू कर दिया है। शिक्षा निदेशालय के इन प्रयासों से निदेशालय के स्कूलों में शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया के मापदंडों तथा बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अत्यधिक सुधार आया है।

अतिथि शिक्षक तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष, 2015 से शुरू किए गए सभी प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को नए दायित्वों के योग्य बनाने के लिए काफी समय और धनराशि खर्च की है। अतिथि शिक्षक तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे शिक्षकों को जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और जो शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में अध्यापन का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, वे शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में अध्ययन और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। शिक्षा शास्त्र की नई मान्यताओं के अनुसार अध्यापन में ''अनुभव'' को महत्वपूर्ण माना गया है।

अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, निदेशालय में 2001 से कार्य कर रहे हैं और अनेक बेरोजगार युवकों को 2009–10 से अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लगाया गया था। अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को लगाने की एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी जो पूर्णतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 तथा 309 के अनुसार थी जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए थे। अतिथि शिक्षकों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

DVS

कार्यरत सभी शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य जिला स्तर पर केन्द्रित था और इन शिक्षकों की जिला अनुसार मैरिट लिस्ट सार्वजनिक **डोमेन** पर तैयार की गई थी और मैरिट लिस्ट की प्रक्रिया स्वचालित होने के कारण मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नहीं थी। इन उपायों के परिणामस्वरूप, 2014 में अतिथि शिक्षकों के बैकडोर से या अनैतिक प्रणाली से नियुक्ति की संभावना को समाप्त कर दिया गया था । वर्ष, 2014 में जिला अनुसार जो मैरिट सूची तैयार की गई थी उसमें आरक्षण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग प्रत्याशियों के लिए आरक्षण भी रखा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत विधान द्वारा अधिनियमित विधि उपलब्ध न होने के कारण सहायक शिक्षकों, टीजीटी तथा पीजीटी शिक्षकों का चयन भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के आधार पर किया गया था।

ऐसा किया जाना समीचीन और दिल्ली की स्कूल शिक्षा प्रणाली के हित में होगा कि अतिथि शिक्षकों और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कौशल, विशेषज्ञता और प्राप्त अनुभव से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वंचित न रह जाए इसलिए उन्हें दिल्ली सरकार के शिक्षक संवर्ग में विनियमित और आमेलन किया जाए।

विधेयक उपरोक्त उदेद्श्यों को प्राप्त करता है।

Manish

(मनीष सिसोदिया)
उप मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री

DVS

दिल्ली

दिनांक : 27 सितम्बर, 2017

<u>वित्तीय ज्ञापन</u>

इस अधिनियम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय वहन नहीं करना होगा।

DVS